न्यायालयः— अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पिछोर जिला शिवपुरी म0प्र0
(समक्ष : हरिओम अतलसिया)

Registration No.MCA/11/2022
Filling No.MCA/307/2022
CNR No. MP3308002323/2022
Filing Date 26-09-2022

1 गिरिजा पत्नी रायसिंह लोधी आयु 69 साल, व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम बादली तहसील खनियांधाना, जिला शिवपुरी म.प्र.। .....**अपीलार्थी / वादी**

::: विरूद्ध :::

1 कलेक्टर, जिला शिवपुरी म.प्र.।

2. तहसीलदार, तहसील खनियांधाना, जिला शिवपुरी म.प्र.

3. श्रीनिवास शर्मा, राजस्व निरीक्षक ब्लाक के पास कस्बा व तहसील खनियांधाना, जिला शिवपुरी म.प्र.।

4. जितेंद्र उर्फ जीतू चौबे ग्राम पटवारी, ग्राम बादली कस्बा व तहसील खनियांधाना, जिला शिवपुरी म.प्र.।

5. थाना प्रभारी, थाना मायापुर जिला शिवपुरी म.प्र.।

6. किशनसिंह पुत्र हन्नामसिंह यादव आयु 57 साल,

7. रामकरनसिंह पुत्र हन्नामसिंह यादव आयु 48 साल,

8. रायसिंह पुत्र रामरतन लोधी आयु 70 साल,

9. अखिलेश पुत्र रायसिंह लोधी आयु 31 साल,

10. गजराजसिंह पुत्र रायसिंह लोधी आयु 26 साल, क्रमांक 6 लगायत 10 निवासी ग्राम बादली तहसील खनियांधाना, जिला शिवपुरी म.प्र.।

11. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर कार्यालय अनुविभागीय (राजस्व) पिछोर जिला शिवपुरी म.प्र.। ----------रेस्पोडेंट / प्रतिवादीगण

न्यायालयः—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खनियांधाना जिला शिवपुरी म.प्र. (श्री भूपेन्द्र तिवारी) के न्यायालय के नियमित व्यवहार वाद (Civil Suit No. RCSA 26/2022, Filling No.29/2022, CNR No. MP3306000562-2022 & Filing Date-09-05-2022 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2022 से उद्भूत विविध सिविल अपील।

::: **आदेश** :::

(आज दिनांक 09.01.2023 को पारित किया गया)

1. अपीलार्थी/वादी की ओर से यह विविध सिविल अपील अंतर्गत आदेश 43 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खनियांधाना जिला शिवपुरी म.प्र. (श्री भूपेन्द्र तिवारी) द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक—26ए/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2022 से व्यथित् होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन—पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का निरस्त किया।

2. वर्तमान अपील में सुविधा के दृष्टिकोण से अपीलार्थी को ''वादी'' एवं प्रत्यर्थीगण को ''प्रतिवादीगण'' के नाम से संबोधित् किया जायेगा।

3. वर्तमान विविध अपील को उत्पन्न करने वाले तथ्य इस प्रकार से हैं कि, वादी/अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय में एक व्यवहार वाद, स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जिसमें वादी/अपीलार्थी द्वारा आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का आवेदन पेश किया कि, वादी विवादित भूमि स्थित ग्राम बादली, तहसील खनियांधाना के भूमि सर्वे नम्बर 180 रकबा 0.91 हेक्टेयर की स्वत्व व आधिपत्यधारी होकर काबिज काश्त है, जिसका इंद्राज राजस्व अभिलेखों में निरंतर वादी के नाम भूमिस्वामी के रूप में लिखा चला आ रहा है। विवादित भूमि शासकीय पठार की दखलरहित भूमि थी, जिसे विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अंतर्गत म.प्र. शासन द्वारा विधिवत् भूमिस्वामी अधिकार प्रदान कर राजस्व अभिलेखों में अमल चला आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि को उपजाउ बनाकर उस पर पेड़—पौधे व दस पक्के कमरे निर्मित किये। प्रतिवादी क्रमांक के न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 127/2016—17/बी—121 किशनसिंह विरूद्ध गिरजा में उक्त भूमि को शासकीय घोषित करवाने का प्रयास किया गया है, जिसे दिनांक 07.07.2017 को स्थगित किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 6 व 7 सत्ताधारी

राजनीतिक व्यक्ति है। प्रतिवादीगण वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त भूमि शासकीय घोषित करवाना चाहते हैं। प्रतिवादीगण को विवादित भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विवादित भूमि वादी की स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है। दिनांक 12.04.2022 को प्रतिवादीगण को विवादित भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विवादित भूमि वादी की स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है। दिनांक 12.04. 2022 को प्रतिवादीगण द्वारा अवैध आदेश के आधार पर वादी को उक्त विवादित भूमि से बेकब्जा कर उसका निर्माण कार्य नष्ट करने का असफल प्रयास किया गया। प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादी को अवैध रूप से बेकब्जा कर उसका मकान नष्ट कर दिया जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। उक्त आधारों पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रकरण के अंतिम निराकरण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है कि वे वादी के स्वत्व में दखल न डालें, उसके मकान को नष्ट न करें एवं विवादित भूमि के राजस्व अभिलेखों वादी के इंद्राज को प्रभावित न करें।

4. प्रतिवादी क्रमांक 2, 3, 4, 6 एवं 11 ने आवेदन में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि विवादित भूमि सर्वे नम्बर 180 रकबा 0.91 हेक्टेयर वादी के स्वत्व आधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में वर्ष 1996–97 से 1999–2000 तक भूमि पठार शासकीय दर्ज है। वादी कभी विवादित भूमि पर काबिज नहीं रही है। वादी को शासन द्वारा कभी कोई पट्टा आवंटित नहीं किया गया है। वादी द्वारा अपने स्वत्व का कोई दस्तावेज भी प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। वादी द्वारा तत्कालीन कर्मचारियों से मिलकर अवैध रूप से अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया है, जिससे उसे कोई स्वत्व अर्जित नहीं होता है। प्रतिवादीगण शासकीय भूमि के संरक्षण एवं उसे खुर्द–बुर्द होने से बचाने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वैधानिक प्रक्रिया अनुसार विवादित भूमि के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। अतः उक्त आधारों पर वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. विचारण न्यायालय के द्वारा उभयपक्ष के तर्क श्रवण करने के उपरांत वादी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र को अस्वीकार किया, उसी आलोच्य आदेश के विरुद्ध वर्तमान में यह विविध सिविल अपील प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलार्थी/वादी द्वारा अपील मेमो में यह आधार लिया गया है कि, विद्वान विचारण व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2022 विधि प्रक्रिया, अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रावधानित विचारणीय बिंदु के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है एवं अपीलार्थी का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य है। विवादित भूमि पूर्व में शासकीय पठार की दखल रहित भूमि थी, जिस पर प्रतिवादीगण की पूर्ण जानकारी में वादी लगभग 45 वर्ष से अधिक समय पूर्व से काबिज काश्त होकर कृषि श्रमिक के रूप में कृषि कार्य कर काबिज काश्त चली आ रही है और विधि अनुसार आधिपत्य के आधार पर कालांतर में म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984, नियम 1986 के अंतर्गत विधिवत् वादी को भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार म.प्र. शासन के द्वारा प्रदान किये गये, जिनका अमल पटवारी कागजात में तत्समय से विधिवत् राजस्व अभिलेखों में निरंतर चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 2 तहसीलदार खनियांधाना जिला शिवपुरी के द्वारा वादी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व के इंद्राजात करके भू–अधिकार, ऋण–पुस्तिका भी वर्ष 1989 में प्रदान की गयी थी, जो वादी के पास आज भी मौजूद है। वादी ने विवादित भूमि पर श्रम व पूंजी लगाकर भूमि को कृषि योग्य उपजाउ बनाया और सैंकड़ों पेड़–पौधे फलदार व गैरफलदार लगाकर भूमि पर 10 कमरे निर्मित किये, अब भूमि बेशकीमती हो गयी है। रंजिश से प्रतिवादी क्रमांक 6 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के समक्ष निःतांत झूठा आवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवादी क्रमांक 2 के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 127/2016–17/बी–121 उनमान किशनसिंह आवेदक बनाम गिरजा अनावेदिका पर दर्ज हुआ प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 6 के द्वारा वादी के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 180 को शासकीय करवाने का प्रयास किया था, जिसे प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा आदेश पारित करके दिनांक 07.07. 2017 को स्थगित कर दिया था। प्रतिवादी क्रमांक 6 व उसके भाई प्रतिवादी क्रमांक 7 ने अधिकारियों से सांठ–गांठ कर बिना वादी की जानकारी के विवादित भूमि को शासकीय करवा दिया। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के आदेश दिनांक 18.10.2017 के विरूद्ध अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिछोर केम्प खनियांधाना प्रतिवादी क्रमांक 11 के समक्ष प्रस्तुत की जो वर्तमान में प्रचलित

है। इस अपील प्रकरण में भी वादी के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा पारित अवैध आदेश दिनांक 18.10.2017 के अमल एवं क्रियान्वयन पर स्थगन की सहायता चाही थी, परंतु प्रतिवादी क्रमांक 11 ने भी प्रतिवादी क्रमांक 6 व 7 के प्रभाव में स्थगन आवेदन निरस्त कर दिया। तदोपरांत प्रतिवादीगण क्रमांक 6 व 7 के द्वारा प्रतिवादीगण क्रमांक 8, 9, 10 से सांठ–गांठ करके वादी के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की विवादित भूमि पर एक अन्य आवेदन पत्र प्रतिवादीगण रायसिंह, अखिलेश, गजराजसिंह लोधी निवासी ग्राम बादली के विरूद्ध प्रतिवादी क्रमांक 2 के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रतिवादी क्रमांक दो के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 86/20–21/अ–68 पर दिनांक 08.12.2019 को पंजीयन किया जाना दर्शाया गया और उसी दिनांक को प्रकरण में ग्रम पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन भी लगाया गया एवं उसी दिनांक को प्रकरण में अनावेदकगण/प्रतिवादीगण क्रमांक 8, 9, 10 की तामीलें भी होना दर्शित किया गया और उसी दिनांक 08.12.2019 को वादी की विवादित भूमि पर वादी की जानकारी के बिना वादी की स्वामित्व व आधिपत्य की विवादित भूमि पर से प्रतिवादीगण 8, 9, 10 का अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश पारित कर दिया गया जबकि प्रतिवादीगण 8, 9, 10 का विवादित भूमि से कोई लेना–देना नहीं था। उसी प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 08.12.2019 को पारित होने के उपरांत भी बिना किसी समक्ष न्यायालय के आदेश के प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा स्वयं ही पुनः दिनांक 02.07.2022 को प्रतिवादी क्रमांक 8,9,10 के विरूद्ध बेदखली आदेश वादी के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की विवादित भूमि पर जारी कर दिये गये और उसकी आड़ में प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा दिनांक 20.01.2022 को वादी के विरूद्ध अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश जारी कर प्रतिवादी क्रमांक 5 थाना प्रभारी मायापुर को दिये गये, ऐसी अवैध कार्यवाही व अवैध आदेश वादी के स्वत्वों के मुकाबले शून्य है। प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा दिनांक 12.04.2022 को दल गठित करके थाना मायापुर से पुलिस बल लेकर दिनांक 18.04.2022 को रायसिंह, अखिलेश, गजराजसिंह से अतिक्रमण मुक्त करवाये जाने का आदेश पारित कर दिया है। प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 5 के कृत्यों के लिये प्रतिवादी क्रमांक 1 विधि अनुसार पूर्ण रूप से दायी है। संपूर्ण तथ्य विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से निवेदित किये जाने के उपरांत एवं राजस्व अभिलेख वैधानिक प्रमाणित होने के बाद भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा

अपीलार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में है। अतः अपील स्वीकार कर विवादित आदेश निरस्त करते हुए आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार कर मूल प्रकरण क्रमांक आर.सी.एस.ए. 26/2022 के अंतिम निराकरण तक प्रतिवादीगण को विवादित भूमि पर वादी के स्वत्वों में दखल न डालने, वादी के मकान को नष्ट न करने और न किसी अन्य को डालने देने, वादी के विवादित भूमि के राजस्व अभिलेखों के नामांतरण इंद्राज को किसी भी प्रकार से प्रभावित न करे और न ही किसी अन्य से प्रभावित करावे, के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किये जाने की आज्ञा प्रदान करने का निवेदन किया है।

7. प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने आलोच्य आदेश को उचित बताते हुए वर्तमान विविध अपील को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

8. **<u>वर्तमान विविध अपील के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं</u>** :–

1. क्या अपीलार्थी/वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदु अपीलार्थी/वादी के पक्ष में सबल हैं?
2. क्या विचारण न्यायालय द्वारा, पारित आदेश में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल कारित की है एवं विधि के विरूद्ध निष्कर्ष निकाला है?
3. यदि हां, तो क्या उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है?

:: **<u>निष्कर्ष के आधार</u>** ::

9. विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी की ओर से भू–अधिकार ऋणपुस्तिका खसरा पांचशाला, खसरा बी–1 वर्ष 2002–03 से 2015–16 की फोटोप्रति, तहसीलदार खनियांधाना के प्रकरण की पत्रावली व पारित आदेश, अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के अपील प्रकरण की आदेश पत्रिका व आदेश दिनांक 02.07.2020, तहसीलदार खनियांधाना की आदेश पत्रिका में पारित आदेश दिनांक 20.01.2022, तहसीलदार का आदेश दिनांक 12.04.2022, प्रतिवादीगण को प्रेषित सूचना पत्र की रजिस्टर्ड डाक रसीदें, वादग्रस्त स्थान के फोटोग्राफ्स तथा आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि प्रतिवादी की ओर से खसरा वर्ष 2015–16 तहसीलदार खनियांधाना का

आदेश दिनांक 18.10.2017, खसरा वर्ष 2019–20, 1997–98, तहसीलदार खनियांधाना का आदेश दिनांक 02.07.2021, एस.डी.ओ. पिछोर का आदेश दिनांक 25.11.20221 की प्रमाणित तथा प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार रूचि अग्रवाल, गजराजसिंह का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है।

10. विचारण व्यवहार न्यायालय के समक्ष वादी की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन के माध्यम से विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये आदेश को रोके जाने व विवादित भूमि में प्रतिवादीगण वादी के स्वत्वों में दखल न करें व मकानात को नष्ट न करे, व राजस्व अभिलेखों के नामांतरण को प्रभावित न करें, संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण के अंतिम निराकरण तक इस आधार पर चाही कि, विवादित भूमि पूर्व में शासकीय पठार की दखल रहित भूमि थी, जिस पर विगत 45 वर्षों से वादी काबिज काश्त होकर कृषि श्रमिक के रूप में कृषि कार्य करती आ रही है तथा मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर वादी को विशेष उपबंध अधिनियम 1984 नियम 1986 के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये, जिनका अमल पटवारी कागजात में राजस्व अभिलेखों में दर्ज होता रहा तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 तहसीलदार खनियाधांना ने भूमिस्वामी स्वत्व के इंद्राज कर भू–अधिकार ऋणपुस्तिका भी वर्ष 1989 में प्रदान की, जो वादी के पास है। वादी ने बताया कि उसके द्वारा विवादित भूमि पर श्रम व पूंजी लगाकर भूमि को कृषि योग्य उपजाउ बनाया और सैंकड़ों पेड़–पौधे फलदार व गैरफलदार लगाकर भूमि पर 10 कमरे निर्मित किये, किंतु प्रतिवादी क्रमांक 6 व 7 विवादित भूमि को वादी से खरीदना चाहते हैं, जिसे वादी ने बेचने से इंकार कर दिया तथा वादी ने एक अन्य भूमि सर्वे नम्बर 181/1 पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय की, जो बेशकीमती हो गयी है, जिसे भी प्रतिवादी क्रमांक 6 व 7 वापस मांग रहे हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 6 व 7 सत्तारूढ़ दल का पूर्व मंडल अध्यक्ष व राजनैतिक पहुंच व चतुर–चालाक व्यक्ति है, जिसने वादी को धमकी दी कि, यदि भूमि उसे विक्रय नहीं की तो वह भूमि को शासकीय करवा देगा। इसी आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 6 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के समक्ष झूठा आवेदन प्रस्तुत किया और प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 6 व 7 के प्रभाव में आकर विवादित भूमि को शासकीय किये जाने का आदेश पारित किया, जो कि शून्य व व्यर्थ है।

11. प्रकरण में वादी स्वयं की ओर से विवादित भूमि पूर्व में शासकीय पठार की दखल रहित होना बताया तथा उसका नाम 45 वर्ष पूर्व से राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला आ रहा होना बताया, किंतु वादी की ओर से जो दस्तावेज सबसे पुराना पेश किया है, वह वर्ष 2002–03 का पेश है, जिसमें विवादित भूमि पर वादी का नाम कृषक नाते दर्ज है, किंतु 45 वर्ष से विवादित भूमि पर वादी का नाम दर्ज चला आ रहा हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रथम दृष्टया अभिलेख पर नहीं है। जबकि प्रतिवादी की ओर से वर्ष 1997–98 का खसरा पांचशाला पेश किया है, जिसमें विवादित भूमि शासकीय दर्ज रही, न कि वादी के नाम से दर्ज रही। प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 6 के आवेदन पर से विवादित भूमि के संबंध में सुनवाई की जाकर आदेश किये गये हैं। वादी का विवादित भूमि में स्वत्व स्वामी नाते रहा हो, ऐसा कोई प्रमाण प्रथम दृष्टया अभिलेख पर नहीं है तथा वादी की ओर से खसरा बी–1 व किश्तबंदी खतौनी पेश की गयी है, उसमें वादी का नाम इस आधार पर स्वामी नाते दर्ज रहा या दर्ज किया गया, इस संबंध में कोई प्रमाण प्रथम दृष्टया प्रस्तुत नहीं किया है तथा वादी द्वारा विवादित भूमि पर भूस्वामी अधिकार मध्य प्रदेश शासन द्वारा विशेष उपबंध अधिनियम 1984 नियम 1986 के अंतर्गत प्रदान करने बावत् कोई दस्तावेज वादी को दिया हो, ऐसा भी कोई दस्तावेज वादी की ओर से विचारण व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे वादी का विवादित भूमि पर स्वत्व व आधिपत्य शासन द्वारा दिया गया हो, प्रमाणित होता। चूंकि वादी का विवादित भूमि पर नाम किस आधार पर दर्ज किया गया, यह तथ्य वादी को ही प्रथम दृष्टया स्थापित करना था, जबकि स्वयं वादी विवादित भूमि पूर्व में शासकीय भूमि होना बता रही है। यह अविवादित विधिक स्थिति है कि, निषेधाज्ञा के माध्यम से अतिक्रामक का आधिपत्य सुरक्षित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक साम्यपूर्ण अनुतोष है। अतः इसे पाने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आना चाहिए। **न्यायदृष्टांत कमलसिंह विरूद्ध जयरामसिंह 1986 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 116** में यह प्रतिपादित किया गया है कि, अस्थाई निषेधाज्ञा केवल आधिपत्य के आधार पर नहीं दी जाना चाहिए अन्यथा शक्ति के बल पर संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्ति, इसका लाभ लेंगे, आधिपत्य ऐसा होना चाहिए, जिसकी कुछ विधिक मान्यता हो। वादी/अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रथम दृष्टया प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि

प्रतिवादी शासन द्वारा वादी को भूमि किसी दस्तावेज के माध्यम से प्रदान की हो। ऐसी स्थिति में वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रकट नहीं होता है तथा न ही सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदु वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकट हैं, जैसा कि योग्य व्यवहार न्यायालय द्वारा अपने आदेश में निष्कर्ष निकाला है। ऐसी स्थिति में जबकि वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण सबल नहीं है तथा न ही सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदु वादी के पक्ष में सबल होना नहीं पाये गये हैं, तब वादी/अपीलार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किये जाने में योग्य विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि कारित होना दर्शित नहीं है। अतः वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह विविध सिविल अपील अस्वीकार की जाती है। इस आदेश के निराकरण में निकाले गये निष्कर्षों का प्रकरण के अंतिम निराकरण में निकाले जाने वाले निष्कर्षों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

12. प्रकरण की परिस्थितियों में उभय–पक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

13. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर प्रमाण–पत्र अनुसार अथवा तालिका अनुसार, जो भी कम हो, जोड़ा जावें, तदानुसार व्यय तालिका बनाई जावें।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।
दिनांकित कर पारित किया गया।

सही/–
(हरिओम अतलसिया)
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,
पिछोर जिला–शिवपुरी म.प्र.

सही/–
(हरिओम अतलसिया)
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,
पिछोर जिला–शिवपुरी म.प्र.

HARIOM ATLASIA

Digitally signed by HARIOM ATLASIA
Date: 2023.01.09 16:01:03 +0530